

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री विजय कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, सदर प्रखंड, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त, जिनके विरुद्ध मुंगेर जिलान्तर्गत पदस्थापन की अवधि में लाल कार्ड योजना के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न आवंटन मनमाने ढंग से करने, अपने कार्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने, निर्धारित माप-दण्ड के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने संबंधित आरोपों के लिए विभागीय ज्ञाप ज्ञापांक- 134 दिनांक- 30.03.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था, के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को "बिहार पेंशन नियमावली" के नियम- 43बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है ।

2. विभागीय ज्ञाप ज्ञापांक- 134 दिनांक- 30.03.2007 में निहित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे ।

Sheer
25/4/xviii
(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08वि0 मोतिहारी -01/2006 2018 / खाद्य,पटना / दिनांक 26-04-18
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर/प्रशाखा पदाधिकारी-03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री विजय कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, सदर प्रखंड, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sheer
25/4/xviii
सरकार के अपर सचिव ।